न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या :— 49/2023

श्रीमति भूरीबाई पत्नि भंवरलाल जी गूर्जर निवासी बस्सी फतेहपुर तह0 बेगूं
प्रार्थीया

बनाम

श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
विपक्षी

उपस्थित :— श्री विजयप्रकाश शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीया
तहसीलदार, बेगूं
पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक :— 17.07.2025

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रैवेन्यु एक्ट

प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि मौजा ग्राम बस्सीफतेहपुर प.ह.शादी के खाता सं. 31 संवत 2078 की नकल जमाबंदी में कृषि आराजी संख्या 542 किता–एक रकबा 1.8210 हैक्टर प्रार्थीया व अन्य सहखातेदार के संयुक्त सहखातेदारी में दर्ज रिकोर्ड है जिसमें प्रार्थीया का 1/3 हक हिस्सा दर्ज है।

यह कि प्रार्थीया की उक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात का राजस्व नक्शे में तरमीम थी उसकी पूर्वी दिशा की तरफ भूमि आराजी नं. 538 से एवं दक्षिणी पूर्वी दिशा में आराजी नम्बर 537 से मिलती थी एवं गत राजस्व नक्शाट्रेस में आराजी नम्बर 537 आराजी नं0 542 व 538 से सही नहीं थी।

यह कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शाट्रेस में आराजी नं0 542 व 538 के मध्य एक राजस्व नक्शा में एक बिना नम्बर की भूमि का अंकन है जो संलग्न राजस्व नक्शाट्रेस से स्पष्ट है तथा उक्त रिक्तनम्बर मौके पर आराजी संख्या 542 से मिला हुआ है जिस पर आराजी नम्बर 542 के खातेदारान ने अपने हिस्सानुसार पूर्व से पश्चिम मौके पर विभाजन कर काबिज हैं।

यह कि वर्तमान संवत 2078 में राजस्व नक्शाट्रेस को ऑनलाईन किये जाने की प्रक्रिया सम्पादित की गयी जिसमें रिक्त नम्बर वाली कृषि आराजीयात को राजस्व कर्मचारियो ने आराजी नम्बर 537 के खातेदार के प्रभाव में आकर रिक्त नम्बर को आराजी नम्बर 537 मे मिला दिया गया है जो कर्मचारीयो की भारी भूल है एवं राजस्व रेकार्ड की त्रुटी है जो राजस्व नक्शा को देखने मात्र से स्पष्ट हो रहा है तथा गत एवं वर्तमान राजस्व नक्शा की प्रतिलिपी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जिससे स्पष्ट है कि राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी आदेश व प्रकिया के जानबूझकर राजस्व नक्शा में त्रुटी की गयी है जिसे सुधारा जाना न्यायोचित हैं।

यह कि राजस्व नक्शाट्रेस की त्रुटि को सुधारे जाने हेतु प्रार्थीया ने पटवारी हल्का को निवेदन किया तो उन्होने श्रीमान से आदेश लाने का कहा जिससे प्रार्थीया को यह प्रार्थना पत्र श्रीमान में प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है। यह कि राजस्व नक्शा ट्रेस में हुई त्रुटि को सुधारे जाने का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त होने से प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुंत है। पटवारी हल्का ने श्रीमान के आदशे लाने की कहने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गत राजस्व नक्शा ट्रेस में आराजी नम्बर 542 व 538 के मध्य स्थित रिक्त आराजी नम्बर को आराजी नम्बर 537 से पृथक किये जाने का आदेश फरमाया जावे अर्थात पुराने नक्शा के अनुसार ही नक्शा तरमीम किये जाने का आदेश फरमाया जावे व आराजी नम्बर 537 का नक्शा में तरमीम पुराने नक्शाट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर वाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब किया गया, प्रकरण में विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार, बेगूं द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार किया कि प्रार्थना पत्र की कलम नं. 1 राजस्व रेकार्ड अनुसार सही है। कलम नं. 2 का जवाब इस प्रकार है कि सेटलमेन्ट मिलान खसरा से स्पष्ट

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

कि वर्तमान आराजी नं. 542 का गत नम्बर 155 था। आराजी नम्बर 538 के गत नम्बर 149 थे एवं आराजी नं0 537 में गत आराजी नं. 150 शामिल किया गया। सेटलमेन्ट से पूर्व के नक्शा व वर्तमान नक्शा के अवलोन मात्र से स्पष्ट है कि वर्तमान आराजी नम्बर 542 की पूर्वी सीमा आराजी नम्बर 538 से नहीं मिलती थी । चूंकि गत आराजी नम्बर 155 व 149 के मध्य आराजी नम्बर 150 का भाग था एवं सेटलमेन्ट मिलान खसरा से स्पष्ट है कि गत आराजी नमबर 150 व अन्य नम्बर से नया खसरा नम्बर 537 बना है। अतः विवादित तरमीम का भाग सेटलमेन्ट से पूर्व की आराजी नमबर 150 का भाग था आराजी नम्बर 150 को नया नम्बर 537 में शामिल करने से विवादित तरमीम का भाग अब नवीन नम्बर 537 का भाग है जो सेटलमेन्ट मिलान खसरा ,सेटलमेन्ट से पूर्व के नक्शा व सेटलमेन्ट के बाद के नक्शा की पूर्वी भुजा देखने मात्र से स्पष्ट हो जाता है। अतः प्रार्थीया द्वारा विवादित तरमीम को सही नहीं बताना गलत है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम नं0 3 का जवाब इस प्रकार है कि वर्तमान आराजी नम्बर 542 व 538 के मध्य बिना नम्बर वाली आकृती सेटलमेन्ट के बाद के नक्शे में बनी हुई है जो सेटलमेन्ट से पूर्व के नक्शे में गत आराजी नम्बर 150 का भाग थी एवं गत आराजी नम्बर 150 का नया नम्बर 537 बनने से अब बिना नम्बर वाली आकृती आराजी नम्बर 537 का भाग है जो सेटलमेन्ट से पर्व नक्शा वर्तमान नक्शा व मिलान खसरा को देखने मात्र से प्रमाणित है। विवादित भाग को आराजी नम्बर 542 से मिलाने से 542 का रकबा बढ जाता है। एवं आराजी नम्बर 537 का रकबा कम हो जाता है।

यह कि कलम नं. 4 का जवाब इस प्रकार है कि बिना नम्बर वाली आकृती सेटलमेन्ट से पूर्व की आराजी नम्बर 150 का भाग थी एवं आराजी नम्बर 150 को नवीन आराजी नम्बर 537 में सम्मिलित किये जाने से बिना नम्बर वाली भूमि भी आराजी नम्बर 537 का ही भाग होने से विवादित तरमीम के भाग को आराजी नम्बर 537 से हटाकर आराजी नम्बर 542 मे मिलाया जाना अनुचित है। राजस्व कर्मियो द्वारा विवादित तरमीम के भाग को सेटलमेन्ट से पूर्व के नक्शा सेटलमेन्ट के बाद के नक्शा व मिलान खसरा के आधार पर बिना नम्बर वाले भाग को आराजी नम्बर 537 में शामिल किया गया जो रेकार्ड अनुसार सही व प्रमाणित हैं। यह कि कलम नम्बर 5 से 8 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

जवाब प्रार्थना पत्र के विशेष कथन में अंकित किया है कि आराजी नम्बर 542 संयुक्त खातेदारी की होने से अन्य सह खातेदारान को भी पक्षकार बनाया जाना था वर्तमान आराजी नम्बर 542 की पूर्वी सीमा सेटलमेन्ट से पूर्व के नक्शा में भी आराजी नम्बर 538 से लगती हुई नहीं थी। एवं वर्तमान में भी नहीं है। गत आराजी नम्बर 155 व 149 के मध्य गत आराजी नम्बर 150 का भाग था चूंकि गत आराजी नमबर 150 को नवीन आराजी नम्बर 537 में शामिल किया गया है अतः बिना नम्बर वाली तरमीम वर्तमान आराजी नम्बर 537 का ही भाग है जो रेकार्ड से भी प्रमाणित है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

जवाब प्रार्थना पत्र का प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट पर बहस उभयपक्ष की ध्यान पूर्वक सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस को प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने एवं पुराने नक्शे में बिना किसी आदेश के परिवर्तन कर दिया है जो पुराने नक्शे अनुसार ही पुनः किया जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है। प्रकरण में बहस अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस को सुने जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। वर्तमान नक्शाट्रेस में की गई आराजी नम्बर 542 की तरमीम एवं आराजी नम्बर 538 व 537 की तरमीम गत नक्शे में दर्शाई गई तरमीम के अनुसार ही है। विपक्षी भूमिधारी के जवाब से उन्होने स्पष्ट किया है कि गत आराजी नम्बर 155 व 149 के मध्य गत आराजी नम्बर 150 का भाग था चूंकि गत आराजी नम्बर 150 को नवीन आराजी नम्बर 537 में शामिल किया जाने से बिना नम्बर वाली तरमीम वर्तमान आराजी नम्बर 537 का ही भाग हो रही है जो रिकोर्ड से भी सपष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दस्तावेजी सबूत से सिद्ध नहीं होता है।

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का एतद् द्वारा खारिज किया जाता हैं।

आदेश आज दिनांक 17.07.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बेगूं (चित्तौड़गढ़)